

भारत सरकार  
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 3969  
जिसका उत्तर 19.12.2024 को दिया जाना है  
राज्य राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्नयन

3969. श्री अमरा राम:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार कोटपुतली, सीकर, खूड़, डीडवाना, नागौर राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के क्या मानदंड हैं;
- (ग) क्या सरकार का विचार सीकर बाईपास के उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन में परिवर्तित करने का है; और
- (घ) यदि हां, तो इसे कब तक परिवर्तित किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री  
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है।

सरकार को राजस्थान सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से राज्य राजमार्गों (एसएच) सहित राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित/स्तरोन्नयन करने के प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। सरकार संपर्कता की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ तालमेल के आधार पर समय-समय पर राज्य राजमार्ग सहित कुछ राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने पर विचार करती है।

राज्य की सड़कों, जिनमें राज्यीय राजमार्ग भी शामिल हैं, को समय-समय पर व्यापक सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाता है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं: -

- i. देश भर में सड़कें।
- ii. निकटवर्ती देशों, राष्ट्रीय राजधानियों को राज्य की राजधानियों/पारस्परिक रूप से राज्य की राजधानियों, प्रमुख बंदरगाहों, गैर-प्रमुख बंदरगाहों, बड़े औद्योगिक केंद्रों या पर्यटन केंद्रों से जोड़ने वाली सड़कें।
- iii. पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कें।

iv. मुख्य सड़कें जो यात्रा की दूरी को काफी कम करने में सक्षम बनाती हैं और जो पर्याप्त आर्थिक विकास हासिल करती हैं।

v. सड़कें जो पिछड़े क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र के बड़े भूभाग से संपर्क स्थापित करने में मदद करती हैं।

vi. 100 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड की उपलब्धि में योगदान देने वाली सड़कें।

vii. पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है। यातायात घनत्व, संपर्कता की आवश्यकता और परस्पर प्राथमिकता के आधार पर बाईपास के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभिन्न कार्य किए जाते हैं। एनएच-52 पर सीकर बाईपास को चार लेन करने का प्रस्ताव डीपीआर तैयारी के चरण में है।

\*\*\*\*\*